



RVPN

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD.
(CIN:L40109RJ2000SGC016485)
(A Govt. of Rajasthan Undertaking)

Office of Chief Controller of Accounts,
Regd Office:-Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur 302005
Tele: 0141-2747037/Fax: 0141-2740066

Email - ao.estt.cont@rvpn.co.in Web site - www.rvpn.co.in

No.RVPN/CCOA/Estt-Cont/D. /06/

Jaipur, Date:- 10-01-18

The Chief Engineer (),
Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited,

**Sub:-Strict compliance for special provisions in concerned of
SC/ST owned industries as mentioned in notification
No.S.O.165 dated 19.11.15.**

**Ref:-Do Note No.2014 dated 07.12.2017 received from
Commissioner, Industries & Secretary, GoR, Jaipur.**

With reference to subject and notification cited above, kindly find enclosed herewith DO note no. 2014 dated 07.12.2017 received from Commissioner, Industries & Secretary, GoR, Jaipur for your information and requested to please endorse the same to your subordinate offices for compliance and needful action.

Encl:-As above

Accounts Officer (Estt & Cont)
RVPN, Jaipur



कुंजी लाल मीना, आई.ए.एस.
Kunji Lal Meena, IAS

Dir(Fin)/1366

11-12-17
Director(T)/Director(O)/PA/CCOA

12/12/17

आयुक्त, उद्योग एवं
शसन सचिव, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
राजस्थान सरकार
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005
Commissioner, Industries &
Secretary, Corporate Social Responsibility
Government of Rajasthan
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302 005

अ. शा. प. क. - एफ.9(145)आ.उ./मार्क./नियम संशोधन/2014
दिनांक : 7.12.2017

श्री संदीप धीर

आपका ध्यान वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक S.O. 165 दिनांक 19.11.2015 की ओर आकर्षित है। इस अधिसूचना द्वारा राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राज्य सरकार के विभागों/संस्थाओं/उपक्रमों द्वारा किये जाने वाले उपापन में मूल्य एवं कय वरीयता तथा अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों को राजकीय उपापन में विशेष वरीयता दी गई है, जो इस प्रकार है -

1. अधिसूचना के शिड्यूल में उल्लेखित 99 उत्पादों को राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से ही कय करने के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें 4 प्रतिशत उपापन अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों द्वारा संचालित उद्यमों से किया जावेगा।
2. अनारक्षित उत्पादों के उपापन में राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल्य वरीयता प्रदान करने का प्रावधान है।
3. मूल्य वरीयता प्रदान करने के पश्चात् भी यदि इस श्रेणी से भिन्न निविदादाता सफल हो जाता है, तो कुल उपापन का 20 प्रतिशत कय आदेश ही उसे जारी किया जायेगा, शेष 80 प्रतिशत उपापन के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर पर आपूर्ति करने का अवसर देते हुए कय वरीयता प्रदान की जाएगी। इसमें से कुल उपापन का 60 प्रतिशत कय आदेश राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देने का प्रावधान है। इसमें से 4 प्रतिशत उपापन अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों द्वारा संचालित उद्यमों से किया जावेगा। शेष 20 प्रतिशत उपापन निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले राज्य के मध्यम उद्यमों से किया जा सकेगा।

विभागीय कय समिति में उद्योग विभाग के प्रतिनिधि को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना की प्रति उद्योग विभाग के वेबपोर्टल <http://industries.rajasthan.gov.in/content/industries/doi/programmes-scheme/acts-rules/StateGovernmentLevel.html> के बिंदु सं. 3 Procurement of Goods (Preference to Micro, Small & Medium Enterprises of Rajasthan) Rules, 2015 शीर्ष नाम से उपलब्ध है। कृपया आपके विभाग के उपापन में इस अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों को प्रदत्त विशेष प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करावें।

11/15

भवनिष्ठ,

(कुंजी लाल मीना)
आयुक्त, उद्योग

श्री संदीप धीर,
निदेशक (वित्त),
राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड,
जयपुर।